कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

उत्तराखण्ड

विवरणिका

(Brochure)

एल–एल0बी0 – प्रवेश परीक्षा – 2017

<u>ऑनलाइन आवेदन</u>

एल–एल0बी0 – प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

आवेदन शुल्क ₹700 + बैंक कमीशन

आवेदन पत्र भरने एंव शुल्क जमा करने हेतु प्रारम्भ तिथि	05.05.2017
शुल्क जमा किये जाने की अन्तिम तिथि	31.05.2017
आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	02.06.2016

<u>निर्देश</u>

1. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका में दिये गये निर्देशों का भली प्रकार पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें।

2. एल–एल0बी0 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा शुल्क (₹700+बैंक शुल्क) बैंक में जमा कर भरे जायेंगे।

3. वर्ष 2017 में एल–एल0बी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

3.1 प्रवेश परीक्षा तिथि 02 जुलाई, 2017 (रविवार) को निर्धारित है। एल–एल0बी0 प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे–

प्रथम प्रश्न–पत्र (एल–1) कुल अंक– 100 <u>समय 1:30 घण्टा (90 मिनट)</u>

प्रश्न–पत्र का नाम– सामान्य ज्ञान (अद्यतन राजनीति, नैसर्गिक विज्ञान, आधुनिक अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, तार्किक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आधुनिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन)

द्वितीय प्रश्न–पत्र (एल–2) कुल अंक– 100 <u>समय 1:30 घण्टा (90 मिनट)</u>

प्रश्न–पत्र का नाम– भाषा (गद्यांश का संक्षिप्तीकरण(अंग्रेजी), अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में रूपान्तरण, वाक्यों का शुद्ध किया जाना, व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियों को ठीक करना, अंग्रेजी में पत्र लिखना आदि)

पृथक–पृथक प्रश्न पत्रों में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होगा। परन्तु यह भी कि प्रवेश परीक्षा कराना अथवा न कराने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

3.2 यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनायें तथा अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटिवश प्रवेश पाता है तो उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही अकृत्य एवं शून्य माना जायेगा और जिस समय भी यह तथ्य उद्घटित होंगे उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

3.3 प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि की अंक तालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों विशेष लाभाधिकार प्रमाण पत्रों, पिछले विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में प्रवेश प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए सम्बन्धित छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3.4 कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक को प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

3.5 प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पश्चात् नियत तिथि से एवं समय पर प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र पर उपस्थित होकर समय से स्थान ग्रहण करना आवश्यक है क्योंकि परीक्षा से पहले कुछ औपचारिकतायें पूरी करनी होगी और परीक्षा सम्बन्धी निर्देश दिये जायेंगे।

3.6 प्रवेश के लिए योग्यता क्रम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची को विश्वविद्यालय एवं विधि संकाय, सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा और इसकी सूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जायेगी।

3.7 **परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।**

3.8 प्रवेश परीक्षा के लिए वरीयता सूची परीक्षा में प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिमान अंकों को जोड़ कर बनायी जायेगी।

3.9 आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर प्रिंटआउट (Printout) को वांछित प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं की प्रतियों एवं अधिभार अंको (weightage marks) के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय को केवल पंजीकृत डाक से **कुलसचिव (मान्यता) कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल** के पते पर भेजे जायेंगे।

3.10 उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका समाधान हेतु संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष विधि संकाय, सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा अथवा कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से सम्पर्क किया जा सकता है।

3.11 प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये अभ्यर्थी का अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

4. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 2.06.2017 है।**

ऑनलाइन आवेदन

(एल–एल0बी0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश)

1. <u>**प्रवेश प्रक्रियाः**</u> कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तहत संचालित एल–एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश–परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों की वरीयता तथा तत्समय लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे।
2. <u>प्रवेश–परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रताः</u>

2.1. एल–एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत (44.99 प्रतिशत मान्य नहीं) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर 40 प्रतिशत (39.99 प्रतिशत मान्य नहीं) होना आवश्यक है। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी एल–एल0बी0 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन एल–एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2.2. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2.3. कोई भी प्रवेशार्थी 2015 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए तथा 2016 की परीक्षा में एक या दो वर्ष के लिए अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो उन्हें प्रवेश प्रतिबन्धित है।

2.4 एल–एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति जिनमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं स्नाताकोत्तर परीक्षा उत्तीण एवं अधिमान अंकों हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

2.5 जो अभ्यर्थी एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0, जाति के हों तथा उत्तराखण्ड राज्य के अलाव अन्य राज्य के हों उन्हें सामान्य श्रेणी का ही लाभ देय होगा।

2.6 आरक्षण/क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

2.7 भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परिनियम संख्या BCI/D/1823(LE) के अनुरूप ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा पद्धति से बिना मूल परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण किये सीधे स्नातक उपाधि प्राप्त की है वे एल–एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

2.8 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है तो उसे प्रवेश आवेदन पत्र शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। **केवल पात्र अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अपात्र अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।**

3. <u>प्रवेश में आरक्षणः</u>

3.1. श्रेणी/आरक्षण हेतु जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हों कृपया दिये गये कॉलमों में अंकित करें। आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थी अपना मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न कर प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र के अभाव में उस श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है।

3.2 सभी श्रेणी के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। छायाप्रति के अभाव में प्रवेश के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

क–	1.	अन्य पिछड़ा वर्ग–	O.B.C.	14 प्रतिशत
	2.	अनुसूचित जाति–	S.C.	19 प्रतिशत
	3.	अनुसूचित जन जाति–	S.T.	04 प्रतिशत

केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का जाति प्रमाण–पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र के अभाव में नियमानुसार प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा जो केवल उत्तराखण्ड के निवासियों को ही दिया जायेगा–

ख–

1. विकलांग Handicapped – 03 प्रतिशत

2. महिला Women – 30 प्रतिशत शासनादेश के अनुसार

3. भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) Ex-Army – 02 प्रतिशत

4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित– Dependent of Freedom Fighter – 02 प्रतिशत

4. **कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सत्र 2017–18 में एल–एल0बी0 कक्षाओं का संचालन एवं सीटों की संख्या:** वर्तमान में विधि विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय, परिसर अल्मोड़ा में एल–एल0बी0 कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें प्रवेश हेतु कुल **100 सामान्य एवं 50 स्ववित्तपोषित रिक्तियाँ** उपलब्ध हैं। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है।

5. **प्रवेश–परीक्षा शुल्क:** ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु शुल्क **₹ 700 तथा बैंक शुल्क (₹ 700+बैंक शुल्क)** है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के आई–कलैक्ट के माध्यम से किया जाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये लिंक के Home Page में जाकर Pay Fee के माध्यम से करना होगा। **।**

   बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि किए जाने के उपरान्त ही 48 घण्टे बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होगा। **आवेदन–शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा।**

6. **ऑनलाइन आवेदन–पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद (steps) निहित हैं–**

   पद – 1: उचित पाठ्यक्रम (बी0एड0 / एम0एड0 **/ एल–एल0बी0** / एल–एल0एम0) का चयन।

   पद – 2: निर्देशिका को वैबसाइट से डाउनलोड करना तथा समस्त नियमों का अध्ययन।

   पद – 3: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए [Pay Fee] लिंक की सहायता से शुल्क जमा करना।

   पद – 4: वैबसाइट के होम पेज पर दिए गए लिंक [Apply Online] में उल्लिखित बैंक द्वारा दिये गये रिफरेन्स नम्बर तथा जन्मतिथि की सहायता से जाना तथा आवेदन–पत्र भरना।

   पद – 5: [Upload Image] करते हुए अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना तथा भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँच के पश्चात Submit करना।

यदि दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन किया जाना है तो **Fill Again** द्वारा जानकारी को परिवर्तित करके **Confim** करना। एक बार दी गई जानकारी को **Confim** करने के पश्चात् कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा

7. <u>पद – 6:</u> Print Application लिंक पर जाकर अपने आवेदन पत्र को प्रिंट करना। **(अभ्यर्थी प्रिंट किये गये आवेदन पत्र की एक प्रति को भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखेगा तथा एक प्रति समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रेषित करेगा।**

8. **उपरोक्त छः पदों में निहित गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं –**

<u>**पद–1: पाठ्यक्रम का चयन, :**</u> विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश–आवेदन हेतु पाठ्यक्रम (बी0एड0 / एम0एड0 / **एल–एल0बी0** / एल–एल0एम0) का चयन किया जायेग।

<u>**पद – 2: निर्देशिका का अध्ययन व मुद्रण:**</u> विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में बी0एड0 पाठ्यक्रम में आवेदन हेतु दिये गये लिंक में प्रवेश–परीक्षा प्रक्रिया तथा विभिन्न नियमों सम्बन्धी यह विवरणिका (Information Brochure) दी गई है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका को डाउनलोड कर भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा इसका मुद्रण कर अपने पास सुरक्षित रखें।

<u>**पद – 3: आवेदन शुल्क जमा करना:**</u> अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home page के Pay Fee वाले Option में जाकर आवेदन–शुल्क (रु0 700+बैंक शुल्क) जमा करेगा, जिस हेतु उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की I-Collect सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसके माध्यम से वह शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान अथवा इण्टरनैट बैंकिंग अथवा क्रैडिट / डैबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। **शुल्क जमा किये जाने की रसीद को अभ्यर्थी प्रिंट कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ले।**

<u>**पद – 4: परीक्षा–आवेदन पत्र को भरना:**</u> शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क प्राप्ति का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें 48 घण्टे (दो दिन) का समय लग सकता है। **विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क–प्राप्ति के सत्यापन के पश्चात ही अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home page के Apply Online वाले Option में जाकर अभ्यर्थी बैंक द्वारा दिया गया रिफरेन्स नम्बर DUxxxxxxxx तथा जन्मतिथि (YY/MM/DD) का प्रयोग करते हुए आवेदन पत्र को भरेगा।**

<u>पद – 5: अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना:</u> अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए लिंक [Upload Image] की सहायता से अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज का **फोटो** तथा **हस्ताक्षर** अपलोड करेगा।

<u>पद – 6:</u> फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी भरे गये आवेदन पत्र को भली–भाँति जाँचने के पश्चात् Submit करेगा। यदि दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन किया जाना है तो **Fill Again** द्वारा जानकारी को परिवर्तित करके **Confim** करेगा। तथा आवेदन पत्र को प्रिंट [Print] करेगा। **एक बार Confim करने के पश्चात् कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।**

तत्पश्चात् अभ्यर्थी को एक रजिट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर तथा ई मेल में दिया जायेगा, जिसको अभ्यर्थी आवेदन पत्र को दोबारा प्रिंट करने तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रयोग करेगा एवं हेतु सुरक्षित रखेगा।

(अभ्यर्थी प्रिंट किये गये आवेदन पत्र की एक प्रति को भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखेगा तथा एक प्रति समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित कुलसचिव (मान्यता), कुमाऊँ विश्वविद्यालय, मल्लीताल, नैनीताल के पते पर निर्धारित तिथि के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा।

<u>9. प्रवेश–परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र प्राप्त करना:</u>

9.1: निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रवेश–परीक्षा में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास आधिकारिक प्रवेश–पत्र नहीं होंगे वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। प्रवेश परीक्षा की तिथि को प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

9.2: प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in में दिये गये लिंक के Home Page से Admit Card लिंक के द्वारा, आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों/वेबसाइट पर दी गई तिथि के उपरान्त अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिन्ट कर सकता है। <u>अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वैबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे तथा प्रवेश–पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।</u>

<u>10. प्रवेश–परीक्षा हेतु केन्द्र:</u> एल–एल0बी0 प्रवेश परीक्षा 2017 के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित केन्द्र बनाया गया है –

1. एस0एस0जे0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

11. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँः अभ्यर्थी प्रवेश–परीक्षा से सम्बन्धित निम्न प्रस्तावित तिथियों को नोट करें –

क्रमांक	विवरण	प्रारम्भ तिथि	अन्तिम तिथि
1.	आवेदन प्रक्रिया हेतु तिथि	05.05.2017	02.06.2017
2.	ऑनलाईन शुल्क जमा करना	05.05.2017	31.05.2017
3.	आवेदन पत्र भरना	07.05.2017	02.06.2017
4.	आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित ऑनलाइन के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में पहुँचने की अन्तिम तिथि	10.06.2017	
5.	प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने की तिथि	24.06.2016	02.07.2017
6.	परीक्षा तिथि	02.07.2017	

12.परीक्षा परिणाम की घोषणाः प्रवेश–परीक्षा सम्पादित होने तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जाँच होने के पश्चात प्रवेश–परीक्षा का परिणाम व वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://www.kunainital.ac.in/ के माध्यम से घोषित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाएगा।

13.कक्षाओं में प्रवेश/काउन्सिलिंगः

13.1. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एल–एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों व आरक्षण के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी। एल–एल0बी0 प्रवेश परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://www.kunainital.ac.in/ पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा–परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है।

13.2. प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों को निधारित अवधि के अन्दर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त समझा जाएगा तथा उसके/उनके बाद के अभ्यर्थी को (प्रतीक्षा सूची से) प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://www.kunainital.ac.in/ पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

13.3 काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है –

अ – हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र

ब – इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र

स – स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा अन्य **अर्हता परीक्षा** की अंक तालिका

द – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)

य – क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

र – अधिभार अंको से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

14. अन्य निर्देशः

141. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

14.2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आंकलन कर सही/सत्य एवं स्पष्ट रूप से भरें। वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति जाँच हेतु विश्वविद्यालय को भेजना तथा मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण/असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का दावा निरस्त किया जा सकता है अथवा प्रविष्ठ परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अन्तिम माना जाएगा।

14.3. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुरूप कोई साक्ष्य/प्रमाण न दिये जाने की स्थिति में यदि उसके प्रवेश का दावा नहीं बनता है तो प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित नियमों के विपरीत यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे परीक्षा शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और न उक्त शुल्क वापस किया जायेगा। केवल पात्र प्रवेशार्थी ही आवेदन करें। अपात्र प्रवेशार्थी का प्रवेश/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14.4 किसी भी वाद की स्थिति में वाद का परिक्षेत्र मुख्यालय, नैनीताल होगा।

नोटः– अधिभार प्राप्तांको हेतु केवल संलग्न प्रारूप पर प्राप्त प्रमाणपत्रों को माना जायेगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी एवं अधिभार अंकों का संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

जो अभ्यर्थी अतिरिक्त अंकों के लिए प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने प्रमाण–पत्र अधोलिखित रूप से तैयार कराके अपने पास सुरक्षित रखें। फोटो कॉपी की

सत्यापित प्रति संलग्न करें तथा आवेदन पत्र में सम्बन्धित पंक्तियों एवं स्तम्भों में उल्लेखित करें। अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही देंगे। अनाधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

विशेष निर्देश

1. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा दण्डित किया गया हो तो सम्बन्धित कॉलम में अवश्य अंकित करें। इस सूचना को जानबूझकर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2. निम्नलिखित अधिभार एल–एल0बी0 में प्रवेश हेतु अनुमन्य है। अभ्यर्थियों द्वारा अधिभार अंकों के लिए प्रतिभाग का स्तर व देय अंकों का विवरण आवेदन पत्र में सही–सही अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि अंकित विवरण में कोई त्रुटि या प्रविष्टि अंक कम या ज्यादा होंगे तो अभ्यर्थी के आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे/होगी।

3. अधिभार के अंकों का स्वयं आकलन कर सम्बन्धित कॉलमों की पूर्ति करें। इनके मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग तथा प्रवेश के समय परीक्षार्थी को प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। मूल प्रमाण पत्र के प्रस्तुत न करने पर अधिभार का दावा मान्य नहीं होगा। **अधिभार अंकों का विवरण निम्नानुसार है–**

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अर्न्तविश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को– 05 अंक

(ख) विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर 03 अंक

नोटः–राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन मे खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ग) नेशनल कैडेट कोर में ''सी'' प्रमाण पत्र पाने वाले अथवा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 05 अंक

(घ) नेशनल कैडेट कोर में ''बी'' प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 03 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या दो से अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले वाले अभ्यर्थियों को 05 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 03 अंक

एन0 एस0 एस0 में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर–प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के एन0 एस0 एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत तथा 240 घण्टे के कार्य का प्रमाण पत्र समन्वयक/प्राचार्य/परिसर निदेशक के द्वारा निर्गत मान्यहोंगे।

(2) विशेष शिविर कम से कम 7 से 10 दिनों का होना चाहिए । दस दिवसीय शिविर में तिथि अंकित न होने पर वांछित लाभ देय नहीं होगा।

(3) एन0 एस0 एस0 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्रों पर कोई अधिमान देय नहीं होगा।

या

स्काउड एवं गाइड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को 05 अंक

या

स्काउड एवं गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी को 03 अंक

या

स्काउड एवं गाइड्स में गुरुपद व ध्रुवपद प्राप्त प्रवेशार्थी को 05 अंक

नोट– उपर्युक्त वर्णित मदों में से केवल एक का लाभ प्रवेशार्थी को देय होगा।

(ड0) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवा–निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो। 05 अंक

(च) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ0 या एस0एस0बी0/आई0टी0बी0पी0/सी0आर0पी0एफ0/होमगार्ड्स में सेवारत हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो, जो कार्यरत या सेवा निवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हो गया हो 05 अंक

नोट – उपरोक्त (ड0) के पात्र अभ्यर्थी सम्बन्धित कमाडिंग आफीसर/सचिव जिला सैनिक बोर्ड तथा उपरोक्त (च) के पात्र प्रवेशार्थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित लाभ के पात्र होंगे। यदि किसीप्रवेशार्थी के माता/पिता दानों ही इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें केवल 05 अंकों का अधिमान देय होगा। उक्त के मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(छ) ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता हो — 05 अंक

नोट– विधवा प्रवेशार्थी को पब्लिक नोटरी द्वारा निर्गत शपथपत्र तथा तलाक एवं परित्यक्ता महिला को सम्बन्धित कोर्ट का मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ज) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को — 05 अंक

नोट – (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्वयं कार्यरत् या सेवानिवृत्त शिक्षक तथा उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक तथा तकनीकी शिक्षा हेतु सहायक/उप/निदेशक द्वारा निर्गत/प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी प्रवेशार्थी के माता–पिता दोनों तथा स्वयं भी इसी श्रेणी में हो तो उन्हें केवल 05 अंकों का ही अधिमान देय होगा।

(ख) विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को कुलसचिव/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी के माता–पिता तथा स्वयं भी दोनों ही इसी श्रेणी में हों तो केवल 05 अंकों का ही अधिभार देय होगा।

(ग) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से निर्गत तथा कुलसचिव से प्रतिहस्ताक्षरित निर्गत मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी के माता–पिता दोनों या स्वयं भी इस श्रेणी में हों तो उन्हें केवल 05 अंकों का अधिभार देय होगा।

(झ) कुमाऊँ विश्वविद्यालय के स्नातक — 05 अंक

4. एल–एल0 बी0 प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में प्राप्तांकों तथा नियमों में अनुमन्य अतिरिक्त अंक के आधार पर दो या दो से अधिक प्रवेशार्थियों के अंक समान होते हैं तो कुमाऊँ विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि प्राप्त प्रवेशार्थी/सम्बद्ध परिसर प्रवेशार्थियों को वरीयता दी जायेगी। यदि उक्त के बाद वरीयता तय न हो तो आयु में ज्येष्ठ परीक्षार्थी को वरीयता दी जायेगी।

नोटः–एल–एल0बी0 में प्रवेश हेतु अधिकतम अधिमान अंक 15 ही देय हैं।

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप (एल–एल0बी0 हेतु)

प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी .... तहसील...जनपद... उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हैं तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

दिनांक................................

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी/तहसीलदार

प्रमाण–पत्र II (उत्तरांचल भासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)–2001 दिनांक 18–7–2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)

(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री श्री..निवासी ग्राम...................................तहसील....................................... जिला...उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम).........................की जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0–2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम..तहसील......................................जिला.........................में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री...की जांच आख्या................. पर जारी किया गया है।

स्थान..........................	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक........................	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के **शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18–7–2001** में उल्लिखित एवं शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र III (विकलांग अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0..आत्मज / आत्मजा श्री.. निवासी ....
तहसील..जनपद.. उत्तराखण्ड राज्य के विकलांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग,हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

दिनांक................................ **हस्ताक्षर सील सहित**

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

<u>प्रमाण–पत्र IV (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ....श्री/श्रीमती/कु0.. आत्मज/आत्मजा श्री.. प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद) .... पर कार्य कर रहे हैं/कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुये/उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी/वह अपंग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री/श्रीमती/कु0 ....इनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी हैं।

दिनांक................................ **हस्ताक्षर सील सहित**

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण–पत्र V (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री..भूतपूर्व सैनिक ने...के पद पर कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक..............................   हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

<u>प्रमाण–पत्र VI (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..आत्मज/आत्मजा श्री..शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं/थे तथा श्री/श्रीमती/कु0..इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हैं।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी

नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र VII (विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..आत्मज/आत्मजा श्री... एक विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला हैं, इनके पति श्री ....की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांक .... को कर दिया गया है।

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर सील सहित

उपजिलाधिकारी

नोटः– कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र VIII (पुलिस / पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती...आत्मज / आत्मजा श्री..विभाग.....................................पद..पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत हैं / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए हैं।

दिनांक...............................

हस्ताक्षर सील सहित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर

पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 / आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

<u>प्रमाण–पत्र IX (मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक, नियमित, वैतनिक शिक्षक का वार्ड या शिक्षणेत्तर कर्मचारी का वार्ड)</u>

नोटः1. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र सही एवं विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अभिलेख के आधार पर है। प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का उल्लेख करें।

2. बिना प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर अधिमान अंकों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. आत्मज/आत्मजा श्री...इस विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में दिनांक... से ....तक .... के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हैं/सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री श्री/श्रीमती/कु0 .... इनके पुत्र/पुत्री अथवा पति/पत्नी हैं।

दिनांक.....................................   हस्ताक्षर सील सहित

(निर्गत करने वाले अधिकारी के नाम तथा पद का भी उल्लेख करें।)

प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील सहित)

प्रमाण–पत्र X (वर्तमान में मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में अनवरत/कार्यरत/नियमित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी हेतु।)

नोटः 1. त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिये निर्गत अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

2. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के मान्यता प्राप्त (पूर्णकालिक, नियमित पूर्ण वेतनमान पर, वैतनिक स्वयं शिक्षक) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य का प्रमाण–पत्र उच्च शिक्षा अधिकारी/जि0शि0अ0/अपर जिला शिक्षा अधिकारी/सहा0 आयुक्त शिक्षा/संयु0 शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा निदेशक/ केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तभी अंक देय होंगे। वर्तमान वर्ष तक एवं आवेदन करने तक का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी का होना आवश्यक है, जिसमें आवेदनकर्त्ता के साथ सम्बन्ध का भी उल्लेख हो।

3. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थाओं की स्थिति में स्वयं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रमाण–पत्र प्राचार्य/प्राचार्या/ विश्वविद्यालय कुलसचिव/ सम्बन्धित संकायाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तभी अंक देय होंगे।

4. वित्त–विहीन–मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत एवं स्वयं सेवक के रूप में अंशकालिक तथा बिना वेतनमान में कार्यरत (मात्र शिक्षण अनुभव पर) होने पर अतिरिक्त अंक देय नहीं होंगे।

5. आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रमाण–पत्र पर नियमानुसार कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6. किसी भी त्रुटिपूर्ण तथा मानकों के प्रतिकूल जमा किये गये प्रमाण–पत्र पर अंक देय नहीं होंगे तथा इसके लिये अभ्यर्थी की स्वयं जिम्मेदारी होगी।

7. बिना प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर अधिमान अंकों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. आत्मज/आत्मजा श्री..इस विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में दिनांक.............................. से ....तक वेतनमान.. में ....के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हैं/सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री/ श्रीमती/कु0 ....इनके पुत्र/पुत्री अथवा पति/पत्नी हैं।

दिनांक...................................

हस्ताक्षर सील सहित

(निर्गत करने वाले अधिकारी के नाम तथा पद का भी उल्लेख करें।)

प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील सहित)

****